Order sheet [Contd]

case No CRR- 94/16

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

19-12-17

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री एम.एल मुद्गल अधिवक्ता उप0।
प्रतिपुनरीक्षण कर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप0।
विचारण न्यायालय के परिवाद निल/14 इण्डियन ट्यूब कॉरपोरेशन बनाम सुरेन्द्र गर्गा का मूल अभिलेख प्राप्त। पुनरीक्षण पर उभयपक्ष के अंतिम सुने गए। प्रकरण आदेश हेतु पुनः पेश हो।

> (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

पुनश्च

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री एम.एल मुद्गल अधिवक्ता उप0। प्रतिपुनरीक्षण कर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप0। यह पुनरीक्षण परिवाद क्रमांक निल/14 इण्डियन ट्यूब कॉरपोरेशन बनाम सुरेन्द्र गर्ग में किए गए आदेश दिनांक 20.02.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा सुरेन्द्र गर्ग के विरुद्ध संज्ञान न लेते हुए परिवाद निरस्त किया गया है।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता / परिवादी के द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अभियुक्त सुरेन्द्र गर्ग के विरूद्ध इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया कि व्यापार के संव्यवहार में परिवादी के द्वारा चार चैक अभियुक्त को दिए गए थे, जिनमें दिनांक को काट कर अन्य दिनांक लिखते हुए दिनांक को नीचे परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर अभियुक्त के द्वारा किए गए तथा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए। पंरतु वास्तविक तौर पर लिखी हुई दिनांक 06.06.12, 06.06.12, 16.11.12 एवं 16.12.12 के अनुसार भुगतान की अविध समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा धारा—420, 467, 468 एवं 471 भा0द0सं० के तहत अपराध कारित किया गया।

विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा परिवाद को क्षेत्राधिकार का होना मानते हुए निरस्त किया गया।

पुनरीक्षण में प्रमुख रूप से यह आधार लिए गए हैं कि क्षेत्राधिकार के आधार पर पुनरीक्षण खारिज किए जाने में अधीनस्थ Order or proceeding with signature of Presiding Officer

न्यायालय द्वारा भूल कारित की गई है, जबिक परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए पुनरीक्षण निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि परिवाद में तथा साक्षी राकेश सोनी, एन.के शर्मा एवं सत्यप्रकाश शर्मा के कथन में यह तथ्य नहीं आए हैं कि गोहद की सीमा क्षेत्र के भीतर उक्त अपराध किया गया था। इसके साथ साथ ही इस पुनरीक्षण में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से आवेदन दिनांकित 17.02.17 प्रस्तुत कर पुनरीक्षण वापिस लिए जाने की प्रार्थना की गई है।

जहां कि प्रथम दृष्टि में यह प्रकट नहीं है कि चैक पर काटा पीटी और हस्ताक्षर गोहद की सीमा क्षेत्र में किए गए, वहां ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह परिवाद क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किए जाने और अभियुक्त सुरेन्द्र गर्ग के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 एवं 471 भा0दं0सं० के तहत संज्ञान न लिए जाने का आदेश दिए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। इस कारण उक्त आदेश हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है।

यह पुनरीक्षण सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की ओर वापिस भेजा जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड